लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3594

16 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

सेल की सीएसआर निधि

3594. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि का उपयोग करने के लिए क्या दिशानिर्देश हैं;

(ख) उस कार्य का ब्यौरा जिसके लिए सीएसआर राशि खर्च की जाती है और किन स्थानों पर राशि का उपयोग किया जाता है;

(ग) झारखंड के अंतर्गत आने वाले संसदीय क्षेत्र कौन से हैं जिसमें भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) की खदानें स्थित हैं;

(घ) वर्ष 2009 से 2019 तक उपरोक्त क्षेत्रों के लिए सेल द्वारा आवंटित सीएसआर की वर्ष-वार राशि कितनी है; और

(ङ) उक्त निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उपयोग की गई सीएसआर राशि का कार्य/वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) और (ख): कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा यथा संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में उल्लिखित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है कि अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा को पार करने वाले सीपीएसई समेत सभी निगमों को आसन्न पूर्ववर्ती 3 वर्षों के अपने औसत निवल लाभ (पीबीटी) के न्यूनतम 2% को सीएसआर क्रियाकलापों के लिए आवंटित करना होगा। इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा धारा 469 की उप-धारा (1) तथा (2) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली, 2014 को 1 अप्रैल, 2014 को अधिसूचित किया गया है।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सीएसआर के अंतर्गत क्रियाकलापों के चयन तथा कार्यान्वयन में सम्यक सतर्कता बरतने तथा पारदर्शिता के लिए दिनांक 01.08.2016 को जारी कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीपीएसई को दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। इसके बाद अप्रैल, 2018 में संपन्न हुए सीपीएसई कॉन्क्लेव की सिफारिशों के आधार पर डीपीई द्वारा दिनांक 10.12.2018 को जारी कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष के लिए एक सामान्य विषय का चयन किए जाने; विषयपरक कार्यक्रमों पर वार्षिक सीएसआर व्यय का 60% खर्च किए जाने, नीति आयोग द्वारा चिन्हित संभावनाशील जिलों को प्राथमिकता दिए जाने आदि के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। वर्ष 2019-20 के लिए सीएसआर की विषय-वस्तु स्वास्थ्य देखभाल, पोषण तथा स्कूली शिक्षा है।

सीएसआर क्रियाकलापों के प्रमुख क्षेत्रों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत निर्धारित किया गया है और इनमें शैक्षणिक स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सतत आय सृजन, दिव्यांगजन को सहायता, जल एवं स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच, ग्राम विकास, पर्यावरण संपोषणियता, खेल-कूद प्रशिक्षण, परंपरागत कला एवं संस्कृति का संवर्धन आदि शामिल हैं। सीएसआर परियोजनाएं मुख्य रूप से इस्पात संयंत्रों, इस्पात टाउनशिप तथा खदानों के दायरे में संचालित की जाती हैं।

(ग): झारखंड के अंतर्गत सिंहभूम, पलामू तथा धनबाद संसदीय चुनाव क्षेत्र आते हैं, जिनमें सेल की खदानें मौजूद हैं।

(घ) और (ङ): झारखंड में वर्ष 2009 से 2019-20 (दिसंबर, 2019 तक) खदानों के लिए आवंटित सीएसआर बजट तथा किए गए खर्च को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-I** पर संलग्न है।

****

अनुलग्नक-I

दिनांक 16.03.2020 को उत्तरार्थ लोक सभा प्रश्न सं. 3594 के भाग (घ) और (ङ) का उत्तर

(लाख रुपये में)

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (तीसरी तिमाही तक)
आवंटित बजट	223.20	400.00	522.00	280.00	400.00	528.00	678.40	265.20	217.20	398.00	272.00
सीएसआर व्यय	368.00	275.00	541.00	1276.00	562.00	292.75	512.85	201.00	263.00	236.60	189.60